

STATE: Uttar Pradesh



DATED: 26/08/2013

Note: - As per NCVT decision all the instructors must be trained within three years. The State Director/Commissioner/Pvt management are requested to sponsor 30% instructors every year for Training in Trainer Program (in any CTI module) of DGET field Institute.

SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&E (Tools & Equipment)

Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft	Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Remarks
		Instit.	QCI	Approval by Sub-Committee of NCVT	
1 GCBG Private ITI, Parvatpur, Chandrika Devi Road, Bakshi Ka Talab, Dist. Lucknow Uttar Pradesh  DGET-6/24/10/2013-TC (New Pvt.)	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	Assessment-5/6/2013 w.e.f. Aug 2013
	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
2 Bhagwati Devi Private ITI, Garautha, Dist. Jhansi Uttar Pradesh  DGET-6/24/4/2013-TC	Draughtsman Civil	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	Assessment-31/5/2013 SIR-31/7/2013 w.e.f. Aug 2013
3 Kamakhya Private ITI, Seorai, Bhadapura, Tehsil, Zamania, Dist. Ghazipur Uttar Pradesh  DGET-6/24/11/2013-TC (New Pvt.)	Electrician	4(2+2)	4(2+2)	4(2+2)	Assessment-4/8/2013 w.e.f. Aug 2013
	Fitter	4(2+2)	4(2+2)	4(2+2)	
Virendra Singh Memorial Private ITI, S, Bhagwati Vihar, Indralok Colony (Kanpur Road), Dist. Lucknow Uttar Pradesh  DGET-6/24/9/2013-TC (New Pvt.)	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	*	Assessment-5/6/2012 *1. Bill of Diesel Generator set SKVA, 440V 3phase is not enclosed also not seen in videography. 2. Only two person are seen in videography they are neither checking the machine nor verifying the bills & documents. 3. Electricity bill document found in CD Envelop. 4. Bills for computers and accessories for IT lab are not enclosed, only typing list is enclosed, but IT lab is available in CD. QCI to clarify.
	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	*	

Training Officer  
DGET  
Ministry of Labour & Employment  
Government of India  
New Delhi

No. DGE&T-12/1/2013-TC  
Government of India  
Ministry of Labour and Employment  
Directorate General of Employment and Training

New Delhi, dated 26<sup>th</sup> August,

To  
The State Directors/UT Administrators  
Dealing with Craftsmen Training Scheme  
(As per the list enclosed)

*Uttar Pradesh 20*

**Subject: Affiliation of Units/Trades of Govt./Pvt. ITIs with NCVT-regarding**

Sir,

The proposals of affiliation accredited by Quality Council of India (QCI), forwarded to DGE&T were put up before the Sub-Committee of National Council for Vocational Training (NCVT) dealing with affiliation of Govt./Pvt. ITIs in its meeting held on August, 2013 at DGE&T Hqrs., New Delhi for its consideration and approval.

The Committee examined various affiliation cases and accorded approvals for the proposals conforming to the NCVT Norms. A copy of the statement, duly signed, containing the names of Govt./Pvt. ITIs Trades/Units, in respect of your State which have been approved/under clarification, along with remarks, if any is enclosed. The said information is also available on web site- <http://www.dget.nic.in/affiliation/welcome.html>. On the basis of this affiliation order State Govt. may please issue affiliation order to the management of the concerned Govt./Pvt. ITIs within a week.

It may please be noted, that the cases wherein clarification is sought, reply should reach immediately to QCI (Quality Council of India), Institution of Engineers Bldg. Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi so that QCI may verify and forward it to DGE&T(HQ) for consideration in the next meeting.


Yours faithfully

  
(D. Mallick)

Director (T) /Member Secretary (NCVT)

Copy along with enclosure

1. The Regional Director of Apprenticeship Training RDAT- Chennai, Faridabad, Kanpur, Kolkata, Hyderabad, Mumbai and The Director, Foremen Training Institute, Bangalore.
2. National Accreditation Board for Education and Training (NABET), Quality Council of India Institution of Engineers Bldg. Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002.
3. To all concerned Govt./Pvt. ITIs

  
(P. N. Yadav)

Jt. Director of Training



संख्या डीजीईएंडटी-12/1/2013-टीसी

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2013

सेवा में

राज्य निदेशक/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक  
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से संबंधित  
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय- सरकारी/निजी आईटीआइज की इकाइयों/व्यवसायों के एनसीवीटी से संबंधन से संबंधित।

महोदय,

डीजीईएंडटी को अवैधित भारतीय गुणवत्ता परिषद् (ब्यू सी आई) द्वारा प्रत्यायित संबंधन प्रस्तावों को डीजीईएंडटी मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 26 अगस्त, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में सरकारी/निजी आईटीआइज के संबंधन से संबंधित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) की उप-समिति के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति ने विभिन्न संबंधन प्रकरणों की जांच की तथा उसने एनसीवीटी मानकों के अनुरूप पाए गए प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया। विवरण की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति, जिसमें आपके राज्य से संबंधित ऐसे सरकारी/निजी आईटीआइज /व्यवसायों/इकाइयों के नाम सम्मिलित हैं जो अनुमोदित किए गए हैं/स्पष्टीकरण के अधीन हैं, अभ्युक्तियों यदि कोई हों, के साथ संलग्न है। कथित सूचना वेबसाइट <http://www.dgei.nic.in/affiliation/welcome.html> पर भी उपलब्ध है। इस संबंधन आदेश के आधार पर राज्य सरकार कृपया संबंधित सरकारी/निजी आईटीआइज के प्रबंधन को एका सप्ताह के अन्दर संबंधन आदेश जारी करें।

कृपया यह नोट किया जाए कि जिन प्रकरणों में स्पष्टीकरण मांगा गया है, इनका उत्तर क्यूसीआई (भारतीय गुणवत्ता परिषद्) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को शीघ्र भेज दें ताकि क्यूसीआई इसे डीजीईएंडटी (मुख्यालय) को उन पर अगली बैठक में विचार करने के लिए सत्यापित एवं अवैधित कर सकें।

भवदीय  
[हस्ताक्षर]  
(डी. मलिक)

निदेशक (प्रशिक्षण)/सदस्य सचिव (एनसीवीटी)

प्रति सूचनार्थ अनुलग्नकों सहित निम्नलिखित को प्रेषित:

1. क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षा प्रशिक्षण आरडीएटी- चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, एवं निदेशक, फोरमन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर।
2. राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी), भारतीय गुणवत्ता परिषद्, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।
2. सभी संबंधित सरकारी/निजी आईटीआइज।

[हस्ताक्षर]  
(पी.एन. खट्टर)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
डी०जी०आई०टी० प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
परमपुर, चन्द्रिका देवी रोड, बकशी का टालाब,  
जिला लखनऊ।

पत्रांक: 2767/टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति

लखनऊ : दिनांक : 10-12-2013

विषय:- भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०आई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिखे गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से संबंधित भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट-दिनांक 05-06-2013 पर दिनांक 26-08-2013 को महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका सार संलग्न व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा की गयी संस्तुति	डी०जी०आई०टी० द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता	
1	2	3	4	5
1-	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	Assessment-05/6/2013 W.e.f. Aug 2013
2-	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	

DGET-6/24/10/2013 -IC      DATED 26/8/2013

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन उच्च मान्यता वाले व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भरबीर,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/विशुद्ध)

पत्रांक : /टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति/

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/विशुद्ध) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थान की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

(सहज देव)

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/विशुद्ध)



प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
डीजीआईओ प्रोवेंट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
परदापुर, चन्दिका देवी रोड, बखरी का तालाब,  
जिला लखनऊ।

पत्रांक: 2767/टी-3/रा०प०/मा०सं०संस्तुति

लखनऊ : दिनांक : 10-12-2013

विषय:- भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, डीजीआईओ नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निम्न को सुपुर्ण पर सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से संबंधित भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05-06-2013 पर दिनांक 26-08-2013 को महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बंधित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका सहरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्र.सं.	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संरक्षण का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा की गयी संस्तुति	डीजीआईओ द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता	
1	2	3	4	5
1-	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	Assessment-05/6/2013 W.e.f. Aug 2013
2-	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	

DGET-6/24/10/2013 -TC      DATED 26/8/2013

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के संबंधित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों को प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यापारिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अद्वीय,

अपर निदेशक (प्रशि/शिड)

पत्रांक : /टी-3/रा०प०/मा०सं०संस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिनिधि निम्नलिखित को राजनर्भ-एवं आदेशक कार्यवाही हेतु भेजिए-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिड) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
2. संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थान की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अतीगज, लखनऊ।

(राहुल देव)  
अपर निदेशक (प्रशि/शिड)